

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

आर.के. पांडे और अन्य

(सिविल अपील संख्या 10212/2014)

09 जनवरी 2025

[भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर. महादेवन]

विचारार्थ मुद्दा

मामला नियोक्ता-राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ एकपक्षीय पंचाटों की प्रवर्तनीयता से संबंधित है, जब नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा अवलम्बित किए गए मध्यस्थता समझौते की प्रामाणिकता पर आपत्ति जताई थी।

हेडनोट्स

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 – एकपक्षीय मध्यस्थता पंचाट – नियोक्ता द्वारा मध्यस्थता समझौते की प्रामाणिकता से इनकार करने पर कर्मचारी द्वारा प्रवर्तन – कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार और सरकारी अस्पताल के खिलाफ सेवा विवाद, जहां वह सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कार्यरत था – रिट याचिका 12 वर्षों तक लंबित रही, उसके बाद वापस ले ली गई – एक साल पहले, कर्मचारी ने राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की – संदर्भ के लिए मुकदमा दायर किया गया, जिसे बाद में कर्मचारी द्वारा नियुक्त दो एकमात्र मध्यस्थों के साथ योग्यता के आधार पर कोई निर्णय लिए बिना वापस ले लिया गया, मध्यस्थता कार्यवाही को स्वतः शुरू किया और राज्य और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ ब्याज सहित लगभग 46 लाख रुपये की राशि के लिए दो पंचाट सुनाए – उसके बाद, कर्मचारी ने एकपक्षीय पंचाट को लागू करने की मांग की – नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा भरोसा किए गए मध्यस्थता समझौते की प्रामाणिकता पर आपत्ति जताई – हालांकि, निचली अदालतों ने आपत्तियों को-सही रूप से खारिज कर दिया:

अवधारित किया गया: मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता कार्यवाही के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मध्यस्थता मूल रूप से पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांत पर निर्भर करती है-पक्षों का न्यायालय के निर्णय के विकल्प के रूप में मध्यस्थता चुनने का अधिकार – कानून की नजर में किसी पंचाट को लागू करने के लिए मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक पूर्वापेक्षा है – तथ्यों के आधार पर, मध्यस्थता कार्यवाही महज दिखावा और कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी थी, स्वयं नियुक्त/नामांकित मध्यस्थों द्वारा, जिन्होंने एकतरफा और अवैध पंचाट पारित किए हैं – विषय वस्तु क्षेत्राधिकार की कमी का स्पष्ट मामला – तथाकथित मध्यस्थता समझौता नगर निगम या राज्य के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिकॉर्ड पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है – कर्मचारी ने मूल समझौता दायर नहीं किया क्योंकि वह उसके कब्जे में नहीं था, न ही वह मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता और पक्ष है – अस्पताल और राज्यपाल ने ऐसे किसी समझौते का समर्थन नहीं किया जो आधिकारिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रति या प्रमाणीकृत प्रति भी नहीं है – भले ही कर्मचारी द्वारा किए गए दावे पूर्व दृष्टया थे और सीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित थे, उन्हें अनुमति दी गई है – इस प्रकार, एकपक्षीय पंचाटों को अपास्त कर दिया गया और कानून में शून्य और अमान्य और गैर-प्रवर्तनीय माना जाएगा – आरोपित निर्णय को अपास्त कर दिया गया। [पैरा 20-25]

उद्धृत केस लॉ

बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ और अन्य [2024] 1 एससीआर 743: (2024) 5 एससीसी 481; केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन बनाम ईसीआई पीआईसी एसएमओ एमसीपीएल (जेवी), एक संयुक्त उद्यम कंपनी, 2024 आईएनएससी 857 – के मामले में संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996; सिविल प्रक्रिया संहिता 1908; परिसीमन अधिनियम 1963।

कीवर्ड की सूची

एकपक्षीय पंचाटों की प्रवर्तनीयता; मध्यस्थता समझौते की प्रामाणिकता; एकपक्षीय मध्यस्थता पंचाट; सेवानिवृत्ति की आयु; मध्यस्थता कार्यवाही; मध्यस्थता समझौता; अधिकार क्षेत्र का अभाव; आधिकारिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि या प्रमाणित प्रतिलिपि; कर्मचारी द्वारा मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति; सीमा द्वारा वर्जित; अधिकार क्षेत्र; निष्पादन कार्यवाही।

निम्न मामलों से उद्धृत वाद

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10212/2014
एफएफओ संख्या 352/2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 28.02.2012 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता अंकित गोयल, विकास बंसल, निखिल शर्मा।
प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता श्रीमती दीपिका मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, सुश्री आभा जैन, जयवीर सिंह।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

निर्णय

भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव खन्ना

विलम्ब को माफ कर दिया गया।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आदेश संख्या 352/2012 के दोषपूर्ण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित दिनांक 28.02.2012 के आदेश से उत्पन्न हुई है।
3. संक्षेप में तथ्य ये हैं – प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे को कानपुर स्थित दीना नाथ पार्वती बांग्ला संक्रामक रोग अस्पताल के टी.बी. अनुभाग में लैब असिस्टेंट/टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त किया गया था। कानपुर नगर निगम बोर्ड ने 1944-45 में कानपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा दी गई भूमि पर इस अस्पताल की स्थापना की थी।
4. 17.07.1956 को डीएनपीबीआईडी अस्पताल को राज्य सरकार, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपने अधीन ले लिया था। यह कानपुर नगरपालिका बोर्ड के प्रशासक और अस्पताल बोर्ड के छह सदस्यों द्वारा पारित दिनांक 17.07.1956 के एक प्रस्ताव के अनुसार था। 29.03.1957 को राज्य सरकार ने दिनांक 17.07.1956 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
5. 20.06.1961 को कानपुर शहर की नगर महापालिका और उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के बीच एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया था। उक्त विलेख को रिकॉर्ड में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 29.03.1957 के शासनादेश के अनुसार अस्पताल का पूरा नगरपालिका स्टाफ, अनुबंध के साथ संलग्न सूची के अनुसार, राज्य सरकार की सेवा में स्थानांतरित माना जाएगा। कर्मचारियों को पारिश्रमिक या अन्य सेवा शर्तों के संबंध में प्रतिकूल स्थिति में नहीं रखा जाएगा, न ही उन्हें बोर्ड की सेवा शर्तों की तुलना में पारिश्रमिक, छुट्टी, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभों के मामले में नुकसान होगा।
6. समझौते के निष्पादन के बाद, अस्पताल गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक 2 मेडिकल कॉलेज, कानपुर की एक इकाई बन गया। इसके बाद, यह स्पष्ट है कि डीएनपीबीआईडी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने राज्य सरकार के अधीन सेवा का विकल्प चुना था और अपनी सहमति भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद, उनके सेवा रिकॉर्ड राज्य सरकार को भेजे गए थे। यह सहमति हुई कि उक्त अस्पताल के प्रांतीयकरण से पहले कर्मचारियों द्वारा प्राप्त रियायतें और विशेषाधिकार भविष्य में भी जारी रहेंगे और उन्हें अधिग्रहण से नुकसान नहीं होगा। बोर्ड ने नगर पालिका बोर्ड की देनदारी को ध्यान में रखते हुए 50,000/- रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।
7. 09.01.1997 के पत्र के द्वारा, अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जो अब एक राज्य सरकार का अस्पताल है, ने प्रतिवादी नंबर 1, आर के पांडे को सूचित किया कि वह 31.03.1997 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनसे अनुरोध किया गया कि वे पेंशन के कागजात के साथ कार्यालय से संपर्क करें और एक सप्ताह के भीतर उसे जमा कर दें ताकि प्रक्रिया शुरू की जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. मार्च 1997 में, प्रतिवादी नंबर 1, आर के पांडे ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें कानपुर के नगरपालिका बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों पर भरोसा करते हुए 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए।
9. रिट याचिका दायर करने के अनुसरण में, प्रतिवादी नंबर 1, आर के पांडे को एक अभ्यावेदन देने के लिए निर्देशित किया गया था। यद्यपि वास्तव में एक अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन बाद में इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी 42 वर्षों से राज्य सरकार की सेवा में है और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सभी वेतन और भत्ते ले रहा है।
10. राज्य सरकार ने रिट याचिका का विरोध करते हुए एक शपथपत्र दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे, राज्य सरकार की सेवा का दर्जा प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार के नियमों और विनियमों से बाध्य और शासित है। यह भी कहा गया कि सरकारी सेवा में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और यदि कोई सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो उसने 40 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होगी। वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने 42 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। दूसरे शब्दों में, उनकी आयु 60 वर्ष होगी।
11. रिट याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे द्वारा 22.04.2009 को वापस लिए जाने तक लंबित रही। परिणामस्वरूप, रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की गईं।
12. रिट याचिका के लंबित होने के बावजूद, 11.01.2008 को प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने तत्कालीन डीएनबीपीआईडी अस्पताल के प्रशासक और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बीच 01.04.1957 को हुए कथित मध्यस्थता समझौते पर भरोसा करते हुए जिला न्यायाधीश, कानपुर नगर, कानपुर के समक्ष मध्यस्थता वाद दायर किया। प्रार्थना यह थी कि प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे की सेवानिवृत्ति की आयु और जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा 03.04.1997 को उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। हालांकि, मध्यस्थता समझौते का उल्लेख न तो रिट याचिका में किया गया था और न ही इसे वापस लेने के आवेदन में किया गया था। इसके बाद, 15.02.2008 को प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग करते हुए मुकदमा वापस ले लिया।
13. 29.11.2008 को प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने कानपुर में जिला न्यायाधीश के समक्ष दो निष्पादन याचिकाएँ दायर कीं, जिसमें अधिवक्ता पवन कुमार तिवारी और इंदीवर वाजपेयी द्वारा 15.02.2008 और 25.06.2008 को जारी किए गए दो अलग-अलग एकपक्षीय पंचाटों को लागू करने की मांग की गई। ये कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राज्य सरकार और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्रिंसिपल के खिलाफ शुरू की गई थी।
14. 15.02.2008 को पारित प्रथम एकपक्षीय निर्णय में उत्तर प्रदेश राज्य और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्रिंसिपल के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे के दावे को 21.01.2008 से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 26,42,116/- रुपये की राशि के लिए निर्धारित किया गया। निर्णय में कहा गया है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने मध्यस्थ नियुक्त/नामांकित किया था और विपक्षी पक्ष द्वारा नियुक्ति नहीं की गई थी, इसलिए पवन कुमार तिवारी, अधिवक्ता ने एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य किया था।

15. इंदीवर वाजपेयी द्वारा पारित दूसरा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 25.06.2008 को प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे के पक्ष में और विपरीत पक्ष अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्रिंसिपल के खिलाफ 11.02.2008 से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 20,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई। निर्णय में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 25.06.2008 को इंदीवर वाजपेयी को मध्यस्थ नियुक्त किया था, यद्यपि विपरीत पक्ष ने मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया था और इसलिए इंदीवर वाजपेयी ने एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य किया।
16. दायर निष्पादन याचिका में नोटिस प्राप्त करने पर अपीलकर्ता अर्थात् इंदीवर वाजपेयी द्वारा दिए गए अवार्ड के विरुद्ध मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत आपत्तियां दर्ज की गईं। निष्पादन न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों में से एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से संबंधित था, जो कथित रूप से 01.04.1957 दिनांकित था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने भरोसा किया। इस समझौते को नगरपालिका बोर्ड के प्रशासक और उत्तर प्रदेश सरकार के अपर सचिव की ओर से निष्पादित और हस्ताक्षरित होने का दावा किया गया था।
17. इस दस्तावेज की प्रामाणिकता से इनकार किया गया। उल्लेखनीय रूप से, यह दस्तावेज या मध्यस्थता समझौता 20.06.1961 को निष्पादित हस्तांतरण विलेख में परिलक्षित नहीं होता है। इसके अलावा, कथित मध्यस्थता समझौते का न तो प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे द्वारा मार्च 1997 में दायर रिट याचिका में उल्लेख किया गया था, और न ही किसी पत्राचार या संबंधित दस्तावेजों में संदर्भित किया गया था जब तक कि प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने 11.01.2008 को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका दायर नहीं की। इस याचिका के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, उक्त याचिका 15.02.2008 को वापस ले ली गई थी, जो कि वह तारीख भी थी जिस दिन पवन कुमार तिवारी, एडवोकेट द्वारा 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु 20,00,000/- का पहला पंचाट पारित किया गया था। इंदीवर वाजपेयी द्वारा दिनांक 25.06.2008 को दिया गया दूसरा अवार्ड भी प्रतिवादी संख्या 1 आर.के. पांडे द्वारा अदालती कार्यवाही का सहारा लिए बिना मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुसरण में है।
18. अपीलकर्ताओं द्वारा ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आपत्तियों को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वे सीमा से वर्जित थीं और क्षमा योग्य अवधि से आगे दायर की गई थीं। दिलचस्प बात यह है कि उक्त आपत्तियों के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 01.04.1957 के मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 आर.के. पांडे ने भरोसा किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), कानपुर नगर द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को नगर निगम/महानगर पालिका द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया था कि समझौते की प्रस्तुत फोटोकॉपी स्पष्ट नहीं थी और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई समझौता उपलब्ध नहीं था। 01.04.1957 के कथित समझौते पर प्रतिवादी नंबर 1, आर के पांडे द्वारा हस्ताक्षर और निष्पादन नहीं किया गया है, और समझौते की एक प्रति उनके नाम पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चिह्नित नहीं की गई है। समझौते की प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकती क्योंकि यह नगरपालिका बोर्ड के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने, जैसा कि स्पष्ट है, ऐसे किसी भी समझौते के अस्तित्व से इनकार किया है।

19. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा पारित आरोपित फैसले ने इस आधार पर अंतर-न्यायालय अपील को खारिज कर दिया कि आपत्तियां स्वयं सीमा द्वारा वर्जित थीं और क्षमा योग्य अवधि से परे थीं।

20. हमने तथ्यों को विस्तार से सुनाया है क्योंकि वे अजीब हैं, और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि तथाकथित पंचाटों को लागू करने के किसी भी प्रयास को रोका जा सके, इस न्यायालय ने बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में अपने निर्णय में कहा है कि धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं हो सकते तथा किसी वादी को अवैध लाभ प्राप्त करने के इरादे से की गई धोखाधड़ी से लाभ नहीं मिलना चाहिए। वर्तमान मामले में, तथाकथित मध्यस्थता समझौता नगर निगम या उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे ने मूल समझौता दाखिल नहीं किया क्योंकि वह उसके कब्जे में नहीं था, न ही वह मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार है। मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता कार्यवाही के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मध्यस्थता मूल रूप से पक्षकार स्वायत्तता के सिद्धांत पर निर्भर करती है; - न्यायालय के निर्णय के विकल्प के रूप में मध्यस्थता को चुनने का पक्षों का अधिकार। इस अर्थ में, मध्यस्थता समझौते का 'अस्तित्व' कानून की नजर में किसी पंचाट के लागू होने के लिए एक पूर्वपेक्षा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 7, जो 'मध्यस्थता समझौते' को परिभाषित करती है, विस्तृत है और इसमें दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान शामिल है जिसमें समझौते के अस्तित्व का एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा इनकार नहीं किया जाता है, हालांकि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व न तो नगर निगम और न ही अपीलकर्ता, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है। 20.06.1961 को बाद में निष्पादित हस्तांतरण के अनुबंध में मध्यस्थता समझौते का उल्लेख नहीं किया गया है। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिवाय कागज के एक टुकड़े के, जो प्रमाणित प्रति या आधिकारिक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति भी नहीं है। आरके पांडे, प्रतिवादी नंबर 1 को समझौते की एक प्रति कैसे और कहां से मिली, और वह भी उनकी सेवानिवृत्ति और रिट याचिका दायर करने के लगभग 10 साल बाद यह अज्ञात है।

21. जैसा कि प्रस्तावित है, मध्यस्थता समझौता नगर निगम एवं विकास बोर्ड, कानपुर और अपीलकर्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के बीच है। संदर्भ के लिए, मध्यस्थता समझौते को पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

“यह मध्यस्थता समझौता पहली अप्रैल, एक हजार नौ सौ सत्तावन को एक पक्ष के नगर निगम एवं विकास बोर्ड कानपुर (जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिसे आगे सरकार कहा जाएगा) के बीच हुआ।

पक्षों के बीच निम्नलिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमति हुई है:

यदि किसी भी समय प्रांतीय डीएन बांग्ला आई.डी. अस्पताल, कानपुर के कर्मचारियों सहित पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो उक्त अस्पताल की प्रबंध समिति द्वारा 17.07.1956 को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के संबंध में, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था, उसे प्रधानाचार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर और बोर्ड के प्रशासक या प्रांतीय अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा नामित मध्यस्थों को मध्यस्थता अधिनियम के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। इसके पुनः अधिनियमन और इसके तहत बनाए गए नियमों में कोई भी वैधानिक संशोधन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। यदि एक पक्ष मध्यस्थ को नामित करता है और विवाद को दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस देकर न्यायनिर्णयन के लिए नामित मध्यस्थ के पास भेजता है और दूसरा पक्ष 10 दिन के भीतर मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहता है तो प्रथम पक्ष द्वारा नामित मध्यस्थ अंतिम होगा और एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। मध्यस्थों / एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

यह समझौता बोर्ड की ओर से प्रशासक और सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के अपर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है।

एम.ए. कुरैशी, आई.सी.सी.

प्रशासक

नगरपालिका एवं विकास बोर्ड

कानपुर

जी.पी. पाण्डेय, अपर सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार”

समझौते में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पक्ष, अर्थात् नगर पालिका एवं विकास बोर्ड, कानपुर और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस देकर न्यायनिर्णयन के लिए मध्यस्थ को नामित कर सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष दस दिनों के भीतर मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहता है, तो पहले पक्ष द्वारा नामित मध्यस्थ एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। यह प्रतिवादी संख्या 1, आर के पांडे का मामला नहीं था कि नगर और विकास बोर्ड, कानपुर, या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मध्यस्थता खंड को लागू किया है। प्रतिवादी संख्या 1, आर के पांडे द्वारा मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति, इसलिए, उनके द्वारा प्रस्तावित मध्यस्थता खंड के विपरीत है।

22. एक और पेचीदा पहलू मध्यस्थता समझौते पर भरोसा करने और मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने में देरी है। प्रतिवादी संख्या 1, आर के पांडे ने स्वयं उसी विवाद के संबंध में 1997 में रिट याचिका दायर की थी। रिट याचिका 22.04.2009 तक लंबित रही, जब इसे वापस ले लिया गया। याचिका के लंबित रहने के दौरान ही प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे द्वारा 11.01.2008 को ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में संदर्भ के लिए वाद दायर करके मध्यस्थता आरंभ करने के लिए कदम उठाए गए थे। हालांकि, बाद में याचिका को गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय लिए बिना वापस ले लिया गया और प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की और दो पंचाट सुनाए, पहला दिनांक 15.02.2008 को 26,42,116/- रुपये की राशि के साथ 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, और दूसरा दिनांक 25.06.2008 को 20,00,000/- रुपये की राशि के साथ 11.02.2008 से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज, अपीलकर्ताओं, उत्तर प्रदेश राज्य और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्राचार्य के खिलाफ सुनाया गया। इस बात के बावजूद कि प्रतिवादी नंबर 1, आर.के. पांडे द्वारा किए गए दावे पूर्व दृष्ट्या थे और ए एंड सी अधिनियम की धारा 43 के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार स्पष्ट रूप से सीमा से वर्जित थे, उन्हें अनुमति दी गई है।

23. **सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बनाम ईसीआई पीआईसी एसएमओ एमसीपीएल (जेवी), एक संयुक्त उद्यम कंपनी** में इस न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने देखा है कि मध्यस्थों की नियुक्ति के चरण में इक्विटी लागू होती है, हालांकि ए एंड सी अधिनियम मध्यस्थता के सभी पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए पक्षों की स्वायत्तता को मान्यता देता है। अधिनियम मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना और मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को विनियमित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक ढांचा तैयार करता है। केवल तभी यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जिनके पास अदालतों का समर्थन है, निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं और बिना किसी मनमानी के और कानून के सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार न्यायिक तरीके से अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। यह वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का मूल है, जो ए एंड सी अधिनियम की धारा 18 का भी मूल है और एक गैर-अपमानजनक और अनिवार्य प्रावधान है। तभी मध्यस्थों को कानून के तहत विवाद को हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि मध्यस्थों की एकतरफा नियुक्ति का मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मध्यस्थता, जो अर्ध-न्यायिक है, के लिए मध्यस्थों के व्यवहार के एक मानक की आवश्यकता होती है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, जो न्यायाधीशों से मांगे गए मानकों से कम कठोर नहीं हो। वास्तव में, मध्यस्थों से उच्चतर मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि न्यायालय के निर्णय अपील की सामूहिक जांच के अधीन होते हैं, जबकि मध्यस्थता पंचाट को आम तौर पर अधिक स्वीकार्यता, मान्यता और प्रवर्तनीयता प्राप्त होती है।
24. हमने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 के संदर्भ में अपनी टिप्पणियां की हैं, जो निष्पादन के चरण में भी, धोखाधड़ी के आधार पर और विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर, किसी पक्ष को डिक्री पर आपत्ति करने की अनुमति देती है। यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता कार्यवाही महज दिखावा थी और प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे द्वारा स्व नियुक्त/नामांकित मध्यस्थों द्वारा की गई धोखाधड़ी थी, जिन्होंने एकतरफा और अमान्य पंचाट पारित किए हैं। दोहराने के लिए, प्रतिवादी संख्या 1, आर.के. पांडे, कथित मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। इसके अलावा, इसके पक्ष, डीएनपीबीआईडी अस्पताल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ऐसे किसी भी समझौते का समर्थन नहीं करते हैं। उपरोक्त तथ्यों और कारणों से यह स्पष्ट है कि यह विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार की कमी का स्पष्ट मामला है।
25. तदनुसार, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और दिनांक 15.02.2008 और 25.06.2008 के दो एकपक्षीय पंचाटों को रद्द करते हैं। दोनों पंचाटों को कानून में अमान्य और गैर -प्रवर्तनीय माना जाएगा। परिणामस्वरूप, पारित निर्णय और अपील की विषय-वस्तु को रद्द माना जाएगा। निष्पादन कार्यवाही खारिज मानी जाएगी। अपीलकर्ता कानून के अनुसार पूरी कार्यवाही की ब्यय के हकदार होंगे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति प्रदान की गई।

निधि जैन द्वारा हेडनोट्स तैयार किया गया;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।